दिनांक हुक्म	कार्यवाही
15/9/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रावली के अनुसार न्यायालय समय में वादी एवं वकील वादी को तीन मर्तबा रजिस्टर्ड डाक से आवश्यक पुकारायी जाने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः वाद वादी अदम पैरवी अदम पैरवी से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद वकील वकील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ (राज०)